



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:40891

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****दांडिक प्रकी. अग्रिम जमानत आवेदन अं./धा. 482 भा.ना.सु.सं.,****सं. - 1053 वर्ष 2026**

डॉ. आमोद कुमार सचान

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : श्रीमती सुनीति सचान, गंगेश्वर पांडेय,
शाश्वत पटेल

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

आरक्षित

न्यायालय सं. - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक की ओर से, श्री प्रशांत चौधरी, अधिवक्ता द्वारा सहायता-प्राप्त, विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती सुनीति सचान, विरोधी पक्षकार सं. 2 की ओर से विद्वान् अधिवक्तागण श्री पुनीत चंद्रा और श्री सिद्धार्थ सिन्हा द्वारा सहायता-प्राप्त विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वजीत सिंह, और राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अधि. श्री पीयूष कुमार सिंह को सुन ॥

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध सं. 62 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), भा.न्या.सं., पु. था. हज़रतगंज, जिला लखनऊ, में उसे अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि प्रश्नगत मामले में प्र.सू.रि. पूर्णतः अवैध रीति से केवल आवेदक पर दबाव बनाने के आशय से दर्ज कराई गई है। प्र.सू.रि. में आरोप है कि सूचनादाता को एक अवैध प्रस्ताव के आधार पर निदेशक बोर्ड से हटा दिया गया है, और आवेदक को राजशेखर के स्थान पर सम्मिलित किया गया है। बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को भी बदला जा रहा है। प्र.सू.रि. में अभिकथित कार्रवाई कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय VII, XI एवं XII के उपबंधों के अधीन विनियमित होती है।

3.1. अग्रेतर निवेदित किया गया है कि प्र.सू.रि. में अभिकथन किया गया है कि सूचनादाता, इंटरलिंकड दवा मंडी प्रा. लि. में 40% शेयर धारक है, और उसका केनरा बैंक, हज़रतगंज शाखा में बैंक खाता सं. 0363261555605 है। 11.03.2026 को, उसे बैंक के मुख्य प्रबंधक से, उसे यह अवगत कराते हुए, एक पत्र प्राप्त हुआ था कि संजय सिंह ने, शाखा प्रबंधक से खाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बदले जाने तक, भुगतान रोकने के लिए कहते हुए एक पत्र दिनांक 09.03.2026 जारी किया है। मुख्य प्रबंधक ने एक प्रस्ताव और पत्र दिनांक 9.03.2026 के बारे में भी सूचित किया है, जिसके द्वारा, संजय सिंह और सूर्यकांत श्रीवास्तव को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाए जाने के लिए कहा गया था। बोर्ड के उक्त प्रस्ताव, विमल प्रकाश खरे और अखिलेश कुमार द्वारा हस्ताक्षरित है। जबकि, उस पर

वर्तमान निदेशक के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। सूचनादाता के अतिरिक्त, चंद्र मोहन शर्मा और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मनीष सक्सेना भी निदेशक हैं, और उन्हें भी उपर्युक्त कार्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। राजशेखर, आवेदक का पुत्र, भी एक निदेशक है, जो अमेरिका में रहता है और उसकी अनुपस्थिति में, आवेदक ने चेक भुनाने के लिए उसके जाली हस्ताक्षर किए हैं। आवेदक और उसके पुत्र ने संजय सिंह, सूर्यकांत श्रीवास्तव, विमल प्रकाश खरे और अखिलेश कुमार के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था और सूचनादाता, चंद्र मोहन शर्मा और मनीष सक्सेना (निदेशक) को सूचित किए बिना, उन्हें निदेशक के पद से हटाने के लिए एक जाली प्रस्ताव जारी किया था। न तो चंद्र मोहन शर्मा और न ही मनीष सक्सेना ने अपना त्यागपत्र दिया था।

3.2. अग्रेतर निवेदित किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और अभिकथित कोई अपराध नहीं बनता है। चेक पर राजशेखर के जाली हस्ताक्षर के संबंध में अभिकथन के अनुसार, पीड़ित ने कभी कोई परिवाद नहीं किया है। अभिकथित किया गया है कि आवेदक हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन था और सूचनादाता उसके संपर्क में तब आया था, जब वह बैंक संचयवहार के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था, और उसने आवेदक का विश्वास जीत लिया था। तत्पश्चात्, सूचनादाता को आर बी एल बैंक में नियुक्त किया गया था। सूचनादाता ने उक्त ट्रस्ट के सभी बैंक खातों को उक्त बैंक में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। तत्पश्चात्, जनवरी 2025 में, सूचनादाता ने आर बी एल बैंक से त्यागपत्र दे दिया था और मई, 2025 तक सी.ई.ओ. के रूप में हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पद ग्रहण कर लिया था, और तत्पश्चात् उसे ग्रुप सी.ई.ओ.

के रूप में पदोन्नत किया गया था, जहां उसने फरवरी, 2026 तक सेवा की थी। तत्पश्चात्,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विवाद आरंभ हो गया था और सूचनादाता ने स्वयं को पूरे ट्रस्ट का वाइस चेयरमैन बताना शुरू कर दिया था। सूचनादाता ने आवेदक को घाटे में चल रही कंपनी इंटरलिंकड दवा मंडी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिए, यह कहते हुए विश्वास दिलाया था कि यह मेडिकल कॉलेज के लिए लाभप्रद होगा। क्योंकि आवेदक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उ. प्र., लखनऊ (के.जी.एम.यू.) में चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा था और स्वयं निदेशक नहीं बन सकता था। इसलिए उसने सूचनादाता और उसके पुत्र राजशेखर को सम्मिलित किया। सूचनादाता का कोई वित्तीय हित नहीं था, फिर भी, उसे आवेदक के पुत्र के साथ बराबर का शेयर-धारक बनाया गया था। इंटरलिंकड दवा मंडी प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बनने के बाद, सूचनादाता ने चंद्र मोहन शर्मा के साथ मिलकर **26.12.2023** को सिस्मेडिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक प्रतिद्वंद्वी फार्मा कंपनी बनाई और उसकी पत्नी ने हिंदस्क्वायर मेडिक्स प्राइवेट लिमिटेड और वेरिटा प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी। सूचनादाता ने हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट और इंटरलिंकड दवा मंडी से राशि निकालना आरंभ कर दिया था। सूचनादाता ने अनेक बोर्ड बैठकें की थीं और आवेदक के पुत्र की, भारत में न होने के बाद भी, उपस्थिति दर्शित की थी, बिना किसी प्राधिकार के उसके सभी शेयर चंद्र मोहन शर्मा और मनीष सक्सेना को स्थानांतरित कर दिए थे, और एक प्रस्ताव दिनांक **28.03.2024** पारित किया था। आवेदक का पुत्र भारत आया और चार नए निदेशक सम्मिलित किए थे, और अपने सभी शेयर आवेदक को स्थानांतरित कर दिए थे। आवेदक को कभी भी इंटरलिंकड दवा मंडी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था और उसके पास केवल उसके पुत्र की शेयर-धारिता है, जिनकी जानकारी अभी कंपनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रजिस्ट्रार को दी जानी है। नए रूप से नियुक्त निदेशक, संजय सिंह को स्पीड-पोस्ट के माध्यम से पुराने संपूर्ण प्रबंधतंत्र का त्यागपत्र प्राप्त हुआ था। एम सी ए पोर्टल के अनुसार, नए रूप से नियुक्त बोर्ड, प्रस्ताव पारित करने और बैंक को पत्र भेजने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, जिसे जाली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पोर्टल पर निदेशक के रूप में दर्शित किया जाता है, तो उसे बैंक कार्य के लिए प्रस्ताव पारित करने का प्राधिकार होता है और उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने पत्र दिनांक **9.03.2026** पर हस्ताक्षर किए थे, उसे स्वीकृत किया है। सूचनादाता के अवैध कार्य, फरवरी, **2026** में सामने आए थे, जब उसने एक ट्रस्टी, अर्थात् बृज कुमार सिंह के साथ मिलकर, ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में आवेदक की स्थिति विवादित करने, और उक्त प्रास्थिति से उसे हटाने का प्रयास करने के लिए, प्रस्ताव दिनांक **16.01.2026** एवं **3.02.2026** पारित किए थे। आवेदक द्वारा सिविल न्यायाधीश, ज्येष्ठ वर्ग, लखनऊ के समक्ष सिविल वाद सं. **455** वर्ष **2026** द्वारा उक्त दोनों प्रस्तावों को चुनौती दी है। आवेदक ने बाराबंकी में सूचनादाता विरुद्ध प्र.सू.रि. सं. **129** वर्ष **2026** भी दर्ज कराई है। उक्त मामले में सिविल न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में रोक-आदेश प्रदत्त किया गया है। सूचनादाता ने उक्त प्र.सू.रि. निरस्त करने के लिए एक रिट याचिका दाखिल की थी, किन्तु उसे खारिज कर दिया गया था।

3.3. यह भी निवेदित किया गया है कि कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय से अन्वेषण अधिकारी को एक पत्र दिनांक **18.05.2026**, यह कहते हुए लिखा गया था कि परिवाद दिनांक **11.03.2026** के आधार पर निदेशकों से उत्तर मांगा गया है और प्रथमदृष्ट्या यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3.4. अंत में यह निवेदित किया गया है कि यदि सूचनादाता बोर्ड के प्रस्ताव से व्यथित है, जो कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किया गया था, तो उसके पास एन.सी.एल.टी. के समक्ष उचित उपचार उपलब्ध है। अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक अन्वेषण में सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए वह अग्रिम जमानत के लिए अधिकृत है।

4. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वजीत सिंह ने, आवेदक की प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदित किया है कि आवेदक के.जी.एम.यू. में चिकित्सक था, और उसे अनुशासनिक समिति द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 208 वर्ष 2017 (एम/बी) में पारित निदेशों के प्रकाश में, हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट, बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित होने, प्राइवेट प्रैक्टिस करने, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और पहली पत्नी से विवाह-विच्छेद लिए बिना दूसरा विवाह करने, आदि के कारण, 12.07.2025 को पदच्युत कर दिया गया था। आवेदक के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के संबंध में उ. प्र. सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है।

4.1. अग्रेतर निवेदित किया गया है कि सूचनादाता के विरुद्ध दर्ज प्र.सू.रि., केवल उसे परेशान करने के द्वेषपूर्ण आशय से दर्ज की गई है। वर्ष 2004 में, ब्रज किशोर सिंह ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट के उद्देश्य से हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित किया था। डॉ. हरीश चंद्र, श्रीमती सुशीला चौधरी, सुनील कुमार वर्मा और मधु चौधरी उनके साथ सम्मिलित थे। आवेदक, जो के.जी.एम.यू. में चिकित्सक था और शेखर हॉस्पिटल का स्वामी था, ने

विश्वास दिलाया था कि वे ट्रस्ट से एक पैसा भी नहीं कमाएंगे और उनकी पत्नी रिचा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मिश्रा भी इसमें सहायता करेंगी। तत्पश्चात्, 9.12.2004 को उपर्युक्त सभी व्यक्तियों के साथ ट्रस्ट का रजिस्ट्रीकरण किया गया था, और आवेदक को ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, और अन्य ट्रस्टियों को सूचित किए बिना एचडीएफसी बैंक में एक खाता भी खोला गया था। जब ब्रज किशोर सिंह को इस बारे में पता चला, तो वे एचडीएफसी बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय गए थे, और उन्हें पता चला था कि बैंक खाता खोलने के लिए एक जाली और कूटरचित ट्रस्ट विलेख प्रस्तुत किया गया था, जिसमें करोड़ों के संव्यवहार, ओवरड्राफ्ट लिमिट और बैंक गारंटी अंतर्गस्त थे। आवेदक ने ट्रस्ट के दस्तावेजों में अनेक जालसाजियां की थीं और करोड़ों रुपयों का गबन किया था। ब्रिज किशोर सिंह ने संबंधित न्यायालय के समक्ष धारा 173(4), भा.ना.सु.सं. के अधीन आवेदन दिनांक 16.01.2026 दाखिल किया था, क्योंकि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए संबंधित मजिस्ट्रेट ने पुलिस थाना कैसरबाग को प्र.सू.रि. रजिस्ट्रीकृत करने का निदेश जारी किया था, जिसके बाद प्र.सू.रि. सं. 22 वर्ष 2026 रजिस्ट्रीकृत की गई थी। आवेदक द्वारा उक्त प्र.सू.रि. निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, किन्तु उसे खारिज कर दिया गया था और आवेदक को 3.02.2026 को ट्रस्ट के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था, जो उपर्युक्त वाद की विषयवस्तु है।

4.2. यह भी निवेदित किया गया है कि अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता है, इसलिए आवेदक अग्रिम जमानत के लिए अधिकृत नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. विद्वान् शासकीय अधिवक्ता ने भी आवेदक की प्रार्थना का विरोध किया है। उन्होंने निवेदित किया है कि आवेदक सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए वह अंतरिम अनुतोष के लिए अधिकृत नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के निवेदनों और अग्रिम जमानत आवेदन और अन्य सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि आवेदक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उ. प्र., लखनऊ (के.जी.एम.यू.) में संकाय सदस्य रहा था और इसी के साथ, वह ट्रस्ट की गतिविधियों और एतदुपर्युक्त चर्चा किए गए ट्रस्टों सहित अन्य चिकित्सालयों के मामलों में भी सम्मिलित था। रिट याचिका सं. 208 (एम/बी) वर्ष 2017 में पारित रिट न्यायालय के आदेश दिनांक 06.02.2023 के अनुपालन में, एक अनुशासनिक समिति भी गठित की गई थी और आवेदक को, जो प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग, के.जी.एम.यू., लखनऊ था, नोटिस जारी किया गया, क्योंकि वह प्राइवेट प्रैक्टिस में अंतर्गस्त था और प्राइवेट कंपनियों से लाभ कमा रहा था। तत्पश्चात्, के.जी.एम.यू. द्वारा आदेश दिनांक 12.07.2025 द्वारा आवेदक की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सी.आई.एस., उ. प्र. सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ द्वारा जारी पत्र दिनांक 02.09.2024 स्पष्ट करता है कि आवेदक के विरुद्ध सतर्कता जांच भी चल रही है। विद्वान् शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, आवेदक अन्वेषण में सहयोग भी नहीं कर रहा है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक कोई भी अनुतोष पाने के लिए अधिकृत नहीं है। तदनुसार, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जून 12, 2026
अर्पण

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।